अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

शस्त्र अपील वाद संख्याः 143 / 2014

अनन्त कुमार–अपीलार्थीगण

बनाम

राज्य सरकार–रेस्पोण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

18.11.2014

जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के आदेश ज्ञापांक 217 / शस्त्र, दिनांक 11.04.2014 में पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद लाया गया है। जिसमें वादी श्री अनन्त कुमार के द्वारा संधारित दो शस्त्र अनुज्ञप्ति रिवाल्वर एवं गन हेतु मानिकपुर चौक, मधेपुरा में दिनांक 29.03.2014 को जाँच के क्रम में पाया गया था कि इनका अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2013 तक ही किया गया था तथा इन शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अंचल अधिकारी, कुमारखंड के द्वारा दिनांक 15.03.2014 को किया गया था। जाँच के दौरान इनके द्वारा घर लाये जा रहे गाड़ी संख्या BR-11M-4647 पर बैठे श्री अनन्त कुमार के पास एक लाईसेंसी रिवाल्वर एवं गन के अतिरिक्त 80,000 / – (अस्सी हजार) रूपये भी बरामद हुए थे। ज्ञातव्य हो कि लोक सभा चुनाव, 2014 के चुनाव के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी / शस्त्रधारियों को गन हाउस, मधेपुरा अथवा संबंधित थाना में शस्त्र जमा कराने का आदेश दिया गया था। वादी द्वारा संधारित शस्त्र का विवरण निम्नवत् है :–

01. रिवाल्वर संख्या–95706 अनुज्ञप्ति संख्या–3216 कुमारखंड थाना से निर्गत है।

02. दोनाली बंदूक शस्त्र संख्या–03216 / 49 अनुज्ञप्ति संख्या–01 / 2002 दोनों शस्त्र वादी के नाम से संधारित है, जिसका नवीकरण वर्ष 2013 तक हुआ है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा प्रासंगिक आदेश के द्वारा शस्त्र लेकर घूमने तथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 9ए के तहत तथा नियम 17 के अनुसार दोनों शस्त्र की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गयी थी तथा इनके शस्त्रों को संबंधित थाना अथवा गन हाउस में जमा करने का निदेश दिया गया था। उपरोक्त संदर्भ में वादी के अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना

गया। जिसमें वादी के अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनके मुवक्किल का 'सर गंगा राम हॉस्पीटल, नयी दिल्ली' में ईलाज चल रहा था। जिसके वजह से शस्त्र का नवीकरण 2014 के लिए नहीं हो सका था। साथ ही जाँच के दौरान पाया गया राशि उनके पुत्र विशाल गौरव के शिक्षा पर व्यय के लिए भेजा जाने वाला था। वादी स्वयं एसोसिएट प्रोफेसर तथा पूर्व उप–कुलपति बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा में रहे चुके है तथा इनका उम्र 64 वर्ष है। ऐसी स्थिति में ये संभ्रान्त परिवार से आते है इसलिए इनका कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं हो सकती है।

इनके इस कथन की सहमति बहस में भाग ले रहे सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी दी गयी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि बिहार 'गन हाउस, मधेपुरा' में इनके द्वारा संधारित दोनों शस्त्र दिनांक 01.04.2014 को जमा कराया जा चुका था। लोकसभा चुनाव, 2014 संपन्न हो चुका है तथा आवेदक को जान–माल की क्षति से बचाना आवश्यक समझा गया है, अतः शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत उभय पक्षों को सूनने एवं अभिलेख पर रखे गये कागजातों के अवलोकनोंपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक द्वारा दोनों संधारित शस्त्रों की अनुज्ञप्ति पुनर्जीवित (Restore) किया जाय। इसकी प्रति जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को एवं आवेदक को भी दी जाय। इस आदेश के साथ आवेदक के आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को प्रभावहीन किया जाता है।

इसके साथ निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं दोनों शस्त्र अनुज्ञप्ति मूल रूप में वापस किया जाता है तथा याद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

18.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

18.11.14

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा